प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
620–इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
2–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।

पत्रॉक: 398 / अ0सं0क0नि0–983 / दशमो0छा0शु0प्रति0 / 2020–21 दिनॉक: 17 जून, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–84 / 2020 / 1332 / 26–3–2020 –4(358) / 07 टी.सी. III दिनॉकः 15.06.2020 **(छायाप्रति संलग्न)**, जो निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 एवं निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित एवं अन्य अधिकारियों के साथ–साथ अद्योहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण करने हेतु समय–सारिणी एवं कार्य–योजना निर्गत करते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन के उपरोक्त निर्देश दिनांक 15.06.2020 के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सोशल सेक्टर के अधीन समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में समान रूप से संचालित राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त संलग्न समय–सारिणी एवं कार्य–योजना का अपने स्तर से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। आपके एवं जन समान्य की जानकारी एवं उपयोगार्थ उक्त समय–सारिणी विभागीय वेव–साईट–minoritywelfare.up.nic.in पर एवं एन0आई0सी0 की वेब–साईट–scholarship.up.nic .in पर भी उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्देशित प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में कोविड–19 की स्थिति देखते हुए शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी जनपद स्तर पर नियमानुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियन्त्रणाधीन अरवी फारसी मदरसों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र / छात्राओं को नियमानुसार शत्–प्रतिशत लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें।

2– राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऐसे छात्र पूर्व से ही चिन्हित कर लिये जायें जिन्हे भारत सरकार द्वारा संचालित "प्री–मैट्रिक / पोस्ट–मैट्रिक / मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाभान्वित किया जा चुका है, ऐसे छात्र भारत सरकार की छात्रवृत्ति वित्तीय योजना के अन्तर्गत ही नवीनीकरण की श्रेणी में ही लाभान्वित होंगे। इन छात्रों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य पोषित

O Kindly arrange to upload on student portal Subject "Information regarding UP scholarship" Rhashan 01/07/2020

सहायक प्रभारी (छात्रवृत्ति) 20.6.2020

छात्रवृत्ति योजना में प्राथमिकता पर यथा–सम्भव भारत सरकार की योजना से लाभान्वित किये जायें ताकि डुप्लीकेसी न हो सके।

3– विगत वर्षों में छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऐसे तथ्य प्रकाश में आये हैं कि छात्र/छात्राओं द्वारा अपने ऑन–लाईन आवेदन पत्र में बैंक खाता सम्बन्धी विवरण में जनधन खातों, एफ0डी0 खाते अथवा कहीं–कहीं एन0आर0आई0 खातों का अंकन किया गया है, जिसके कारण ऐसे आवेदकों के आवेदन बैंक स्तर पर रिजेक्ट हो जाने के कारण धनराशि के अन्तरण में बाधा उत्पन्न हुई है। विदित हो कि योजनान्तर्गत निर्धारित प्रविधानों में सम्बन्धित छात्र/छात्रा का राष्ट्रीयकृत बैंक में सामान्य बचत खाता होना अनिवार्य/अनुमन्य है।

4– अवगत कराना है कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020–21 से लाभार्थी पात्र छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर के ऑनलाईन सत्यापन (ऑथेन्टिकेशन) किये जाने के निर्देश हैं जिसमें सम्बन्धित छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान **"भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" (UIDAI)** से किया जायेगा तथा उक्त डेटा मिलान की स्थिति में ही छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से अग्रसारित होगा। इस सम्बन्ध में विद्यालयों/मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को तथा उनके माता–पिता एवं जनपद में स्थित शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना आवश्यक है ताकि यदि उनके आधार कार्ड में कोई डेटा गलत/त्रुटिपूर्ण है तो उसको सम्बन्धित आधार कार्यालय से समय से शुद्ध करा लें। **(इस सम्बन्ध में पूर्व में निदेशालय स्तर से प्रेषित पत्र सं0– 3548 दिनांक 30.12.2019 एवं अनुस्मारक पत्र सं0– 4166 दिनांक 03.02.2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश आपको प्रेषित किये गये हैं– छायाप्रति संलग्न)**

5– उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020–21 से लाभार्थी पात्र छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता विवरण आधार लिंक्ड (Seeded) होना अनिवार्य है। भविष्य में **" आधार बेस पेमेण्ट"** (D.B.T) की स्थिति में ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि का अंतरण बाधित होगा। अतः ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि जनपद में स्थित विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अध्ययनरत छात्रों को तथा उनके माता–पिता को समय से सूचित कर दिया जाये।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन की मंशा के अनुरूप जनपद स्तर पर उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.06.2020 में उल्लेखित प्रविधानों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे अभीष्ट प्राथमिकता प्रदान की जाये।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय

(जे0पी0 सिंह)
निदेशक

2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 .निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) तृतीय तल योजना भवन, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
9. रजिस्ट्रार, अरबी फारसी मदरसा बोर्ड, उ0प्र जवाहर भवन, लखनऊ।
10. समस्त उप निदेशक/मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

(जे0पी0 सिंह)
निदेशक